02/14 IV

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BF 264343

दस्तावेज ट्रस्ट (डीड/न्यास पत्र)

हम कि सदावृक्ष पाण्डेय पुत्र स्व0 कृष्णानन्द पाण्डेय ग्राम टेकनगाढ़ा पोस्ट अमुवारी नरायनपुर जनपद आजमगढ़ (उ0प्र0) द्वारा ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी है जो दिनांक 15.01.2014 को अस्तित्व मे लाया गया। हम संस्थापक ट्रस्टी राष्ट्रीय अध्यात्मिक एवं सामाजिक सेवा जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रप्रेम, पर्यावरण सुरक्षा, आध्यात्मिक एवं धर्म सुरक्षा, शैक्षिक जागरूकता, शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, गरीबों के उत्थान एवं अन्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति के लोगों का उत्थान करने में विशेष रूचि रखने के कारण इस ट्रस्ट की स्थापना करते हैं। मैं सदा वृक्ष पाण्डेय मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम व श्रीमती कमलेश पाण्डेय महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय नियुक्त करते हुए महात्मा असऊ बाबा एजुकेशनल ट्रस्ट की स्थापना करने की घोषणा करते हैं। ट्रस्ट का नाम पता निम्नवत् है।

ट्रस्ट (न्यास) का नाम- **महात्मा असऊ बाबा एजुकेशनल ट्रस्ट**

ट्रस्ट (न्यास) का पता- ग्राम टेकनगाढ़ा पोस्ट अमुवारी नरायनपुर थाना जीयनपुर तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़।

मुख्यालय-पंजीकृत कार्यालय- ग्राम टेकनगाढ़ा पोस्ट अमुवारी नरायनपुर थाना जीयनपुर तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़ (उ0प्र0) आवश्यकतानुसार स्थानान्तरित किया जा सकता है।

सदावृक्ष पाण्डेय

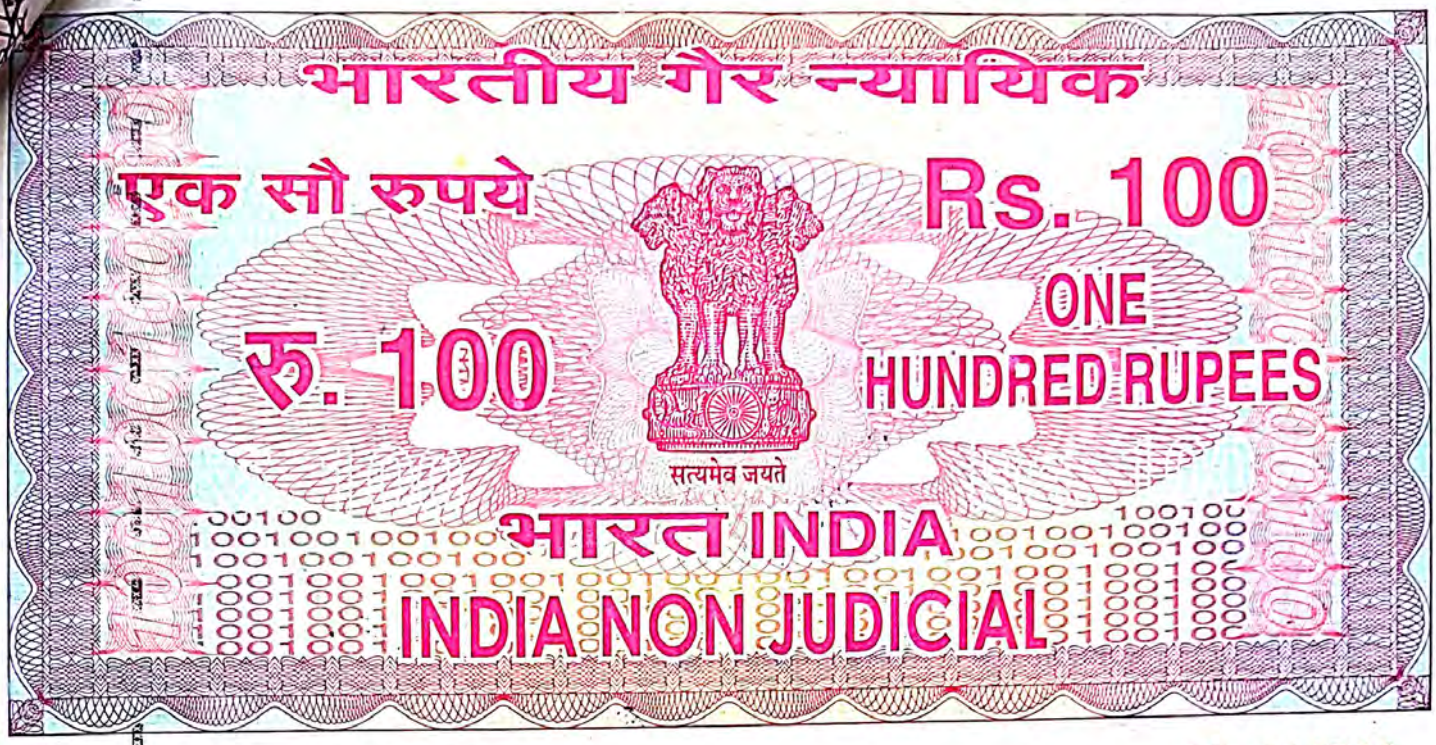

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 264344

ट्रस्ट में निम्नलिखित व्यक्तियों ने ट्रस्टी सदस्य बनने हेतु अपनी सहर्ष सहमति प्रदान की है :-

1. श्री सदावृक्ष पाण्डेय पुत्र स्व0 कृष्णानन्द पाण्डेय (मुख्य संस्थापक-ट्रस्टी प्रथम)
ग्राम टेकनगाढ़ा पोस्ट अमुवारी नरायनपुर थाना जीयनपुर तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़।

2. श्रीमती कमलेश पाण्डेय पत्नी श्री सदावृक्ष पाण्डेय (महासचिव संस्थापक-ट्रस्टी द्वितीय)
ग्राम टेकनगाढ़ा पोस्ट अमुवारी नरायनपुर थाना जीयनपुर तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़।

3. श्री रामकृपाल पाण्डेय पुत्र स्व0 कमलाकान्त पाण्डेय (ट्रस्टी सदस्य)
ग्राम टेकनगाढ़ा पोस्ट अमुवारी नरायनपुर थाना जीयनपुर तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़।

4. श्री मनीष कुमार पाण्डेय पुत्र श्री घनश्याम पाण्डेय (ट्रस्टी सदस्य)
ग्राम रायपुर बाघपुर पोस्ट क़ेलही जनपद गाजीपुर।

5. श्री सुनील पाण्डेय पुत्र श्री सुधाकर पाण्डेय (ट्रस्टी सदस्य)
ग्राम व पोस्ट रैकवारडीह जनपद मऊ।

ट्रस्ट का नाम- महात्मा असऊ बाबा एजुकेशनल ट्रस्ट

ट्रस्ट का पता- ग्राम टेकनगाढ़ा पोस्ट अमुवारी नरायनपुर थाना जीयनपुर तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़।

ट्रस्ट का मुख्यालय- ग्राम टेकनगाढ़ा पोस्ट अमुवारी नरायनपुर थाना जीयनपुर तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़।

ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र- सम्पूर्ण भारत वर्ष।

सदावृक्ष पाण्डेय

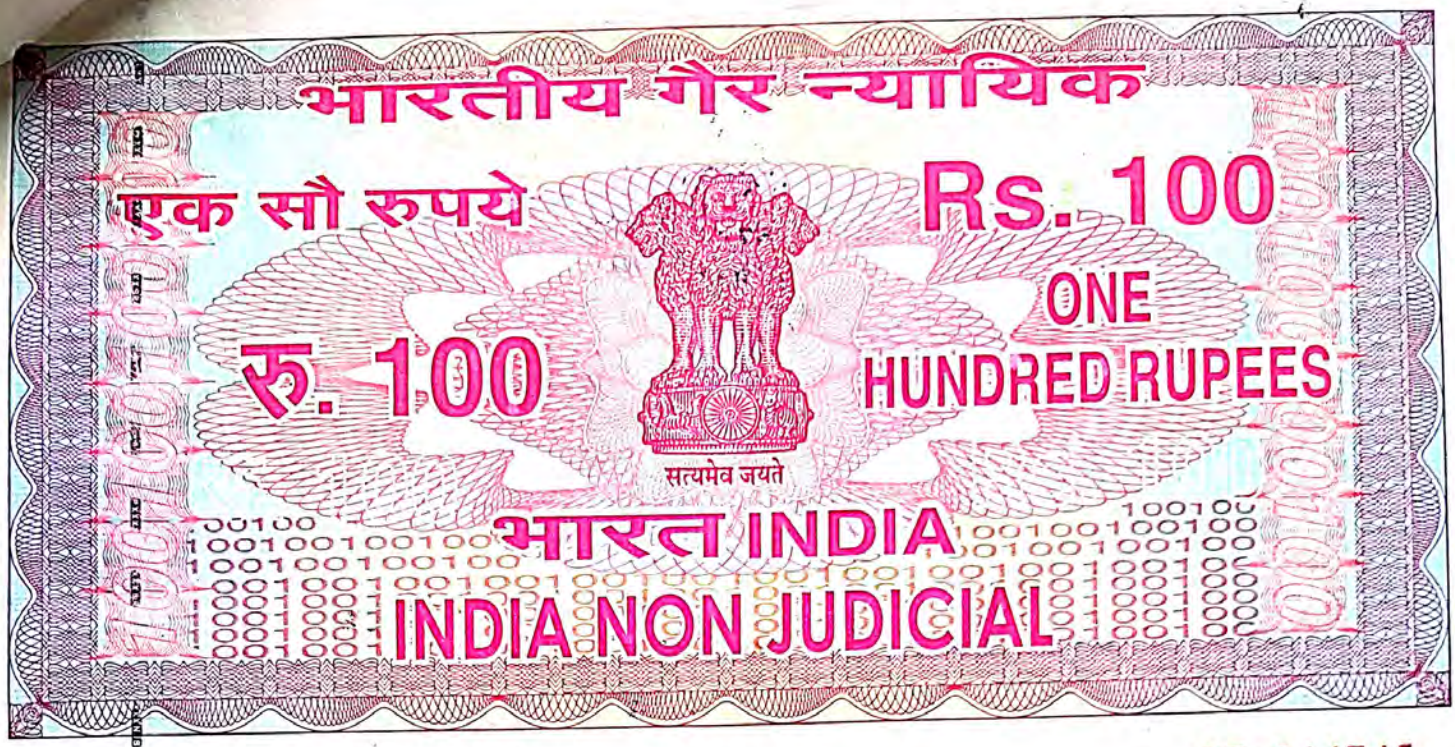

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 264345

ट्रस्ट का उद्देश्य- ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य भिन्न–भिन्न स्थान पर अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम की शिक्षण संस्थाएं प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा स्तरीय महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय, नर्सिग संस्थान, चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल कालेजों एवं अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों आदि की स्थापना करना। ग्रामीण अंचल में मध्यम व कमजोर वर्ग के साथ–साथ दलितों को उनके इच्छानुसार शिक्षा मुहैया कराना। प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा व इंजीनियरिंग कालेजों व विभिन्न खेलों की व्यवस्था, क्रीड़ा क्लब प्रबन्धन, प्रशिक्षण संस्थान, क्रीड़ा संसाधनों की स्थापना व व्यवस्था करना तथा संचालन करना, शिक्षा का देश के कोने–कोने में प्रकाश फैले इसके लिए सम्भव कार्य करना, संस्थाओं की स्थापना करना, कम शुल्क के पात्र बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए ट्रस्ट द्वारा हर सम्भव प्रयास करना ट्रस्ट भूमि भवन व पूँजी की व्यवस्था कर देश के किसी भी स्थान पर शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करके शिक्षा के माध्यम से निर्धन, मध्यम व समाज के दबे कुचले लोगों को आत्म निर्भर कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाना, लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना, खादी ग्रामोद्योग द्वारा चालाई गई संस्थाओं हेतु अनुदान प्राप्त करना एवं संचालित करना, विकलांग विद्यालय, अनाथालय, छात्रावास, संस्कृति केन्द्र, आध्यात्मिक व धार्मिक आश्रम, वृद्धा आश्रम आदि की स्थापना करना एवं संचालन करना, नाली उत्थान, बालोत्थान, कुष्ठरोगी, अस्पताल, प्रेस की स्थापना एवं संचालन करना, समाजिक पत्रिका, अखबार, लाईब्रेरी, कलाकेन्द्र, उद्यान, साहित्य आदि संस्थाओं को खोलना एवं संचालन करना, नर्सिग होम की स्थापना करना। ट्रस्ट दैवी आपता में जिला, राज्य व केन्द्रीय प्रशासन का समय साधन से समय–समय पर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 264346

आवश्यकतानुसार सहायता करेगा। ट्रस्ट सरकारी अर्द्धसरकारी भूमि पर जिला व राज्य प्रशासन व राष्ट्रीय समन्वय स्थापित कर कल्याणकारी योजनाओं का भी संचालन करेगा। किसी निजी भूमि को क्रय–विक्रय करना तथा आवश्यकतानुसार इस ट्रस्ट से संचालित संस्था को लीज (पट्टा) पर देना। बी0टी0सी0, बी0एड0, बी0पी0एड0, टेक्निकल कालेज, सी0बी0एस0ई0, आई0सी0एस0 ई0 के स्कूलों की स्थापना करना। उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त शैक्षणिक आवासीय एवं सामाजिक संस्थाओं की स्थापना करना तथा संचालन करना। देश–विदेश से चन्दा आदि प्राप्त करना एवं ट्रस्ट के माध्यम से खर्च करना, ट्रस्ट के माध्यम से भविष्य में अन्य जो भी संस्थायें खोली जायेगी उनका नाम एवं नाम परिवर्तन ट्रस्ट की कार्यकारिणी द्वारा तय किया जायेगा। गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) के राजकीय, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय समस्त कार्यो का संपादन करना। किसी समिति द्वारा उसके आग्रह पर उनके द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं यथा आश्रम, आनाथालय, वृद्धा आश्रम, चिकित्सालय, कुष्ठ आश्रम, विद्यालय, महाविद्यालय, व्यवसायिक, तकनीकी, प्राविधिक, चिकित्सीय, संस्थाओं आदि को ट्रस्ट (न्यास) में विलीन (समाहित) करना एवं इनको ट्रस्ट के नियमानुसार संचालित करना। रास लीला, रामलीला मेला, यज्ञ, आध्यात्मिक एवं धार्मिक अनुष्ठानों का प्रयोजन करना। आश्रम, मन्दिर, व मठों की स्थापना व उनका संचालन करना। इनके स्थापना एवं प्रयोजन हेतु चन्दा एवं सहयोग प्राप्त करना। जनसंख्या नियंत्रण, एड्स जागरूकता एवं अन्य स्वास्थ्य समस्याओं तथा सामाजिक कुरीतियों, बुराईयों अन्धविश्वासों के निवारण में राष्ट्रीय, अन्तराष्ट्रीय सेवाओं का समय–साधन से सहयोग करना एवं उनका क्रियान्वयन करना। अन्य सार्वजनिक पूर्त (पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट) व अन्य ऐसे सरथाओं की स्थापना व सहायता करना।

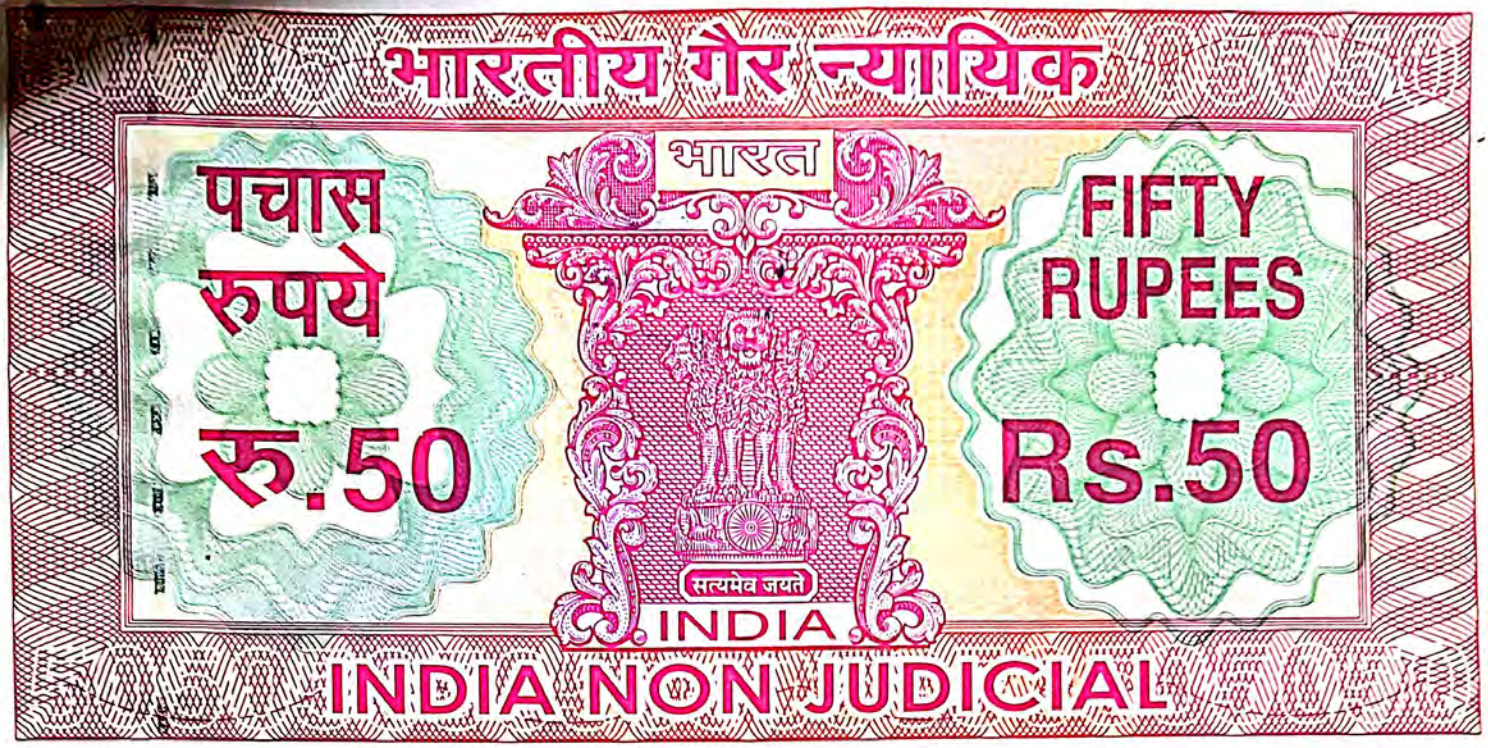

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 574283

कृषि बागवानी, पशुपालन, गृह उद्योग, खाद्य संस्करण, नारी उत्थान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग का उत्थान, भ्रष्टाचार निरोधक कानून एवं व्यवस्था का विकास स्वैच्छीकरण का विकास, औद्योगिक संस्थान, नागरिक उड्डयन, सहकारिता, उर्जा, शिक्षा (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, कृषि शिक्षा, इत्यादि) संस्कृत शिक्षा, वन आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, महिला, भाषा, धर्मार्थ कार्य, लोक निर्माण, सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक चिकित्सा, परिवहन, बाल कल्याण, समाज कल्याण, पर्यटन, खाद्य एवं रसद, मनोरंजन, बाल विकास एवं पुष्टाहार, श्रम, भू–तत्व एवं खनिज, कर्म, खेल कूद, यूवा कल्याण, खादी एवं ग्रामोद्योग, भूमि विकास, जल संसाधन, परती भूमि विकास, उद्यान, पर्यावरण, लघु उद्योग, हथकरघा, वस्तु उद्योग, दुग्ध विकास, ग्राम्य विकास, संस्कृति, मत्स्य, विकलांग कल्याण, पंचायती राज, आबकारी, ग्रामीण रोजगार, एवं गरीबी उन्मूलन, नागरिक सुरक्षा, न्याय एवं विधायी संस्थायें, नियोजन, निर्वाचन एवं पंचायती राज, बैंकिग भाषा, मुद्रण एवं लेखन, भूमि विकास, एवं जल संसाधन राष्ट्रीय एकीकरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सतर्कता, समन्वय सार्वजनिक उद्यम, सूचना एवं जनसम्पर्क, अल्पसंख्यक कल्याण, कृषि विपणन, निर्यात प्रोत्साहन, पूरातत्व प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, प्राणि उद्यान, एड्स नियंत्रण, गंगा, यमुना आदि स्वच्छीकरण, आपदा राहत, पेयजल एवं स्वच्छता एवं सहकारी समितियॉ, साक्षरता एवं वैयक्तिक शिक्षा, सैनिक कल्याण, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा, स्थानीय निकाय यूनानी चिकित्सा, प्रशासन एवं प्रबन्धन, संस्थाये, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, रिमोट सेसिंग, ललित कला, चित्रकला, वैकल्पिक उर्जा विकास संस्थान, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं

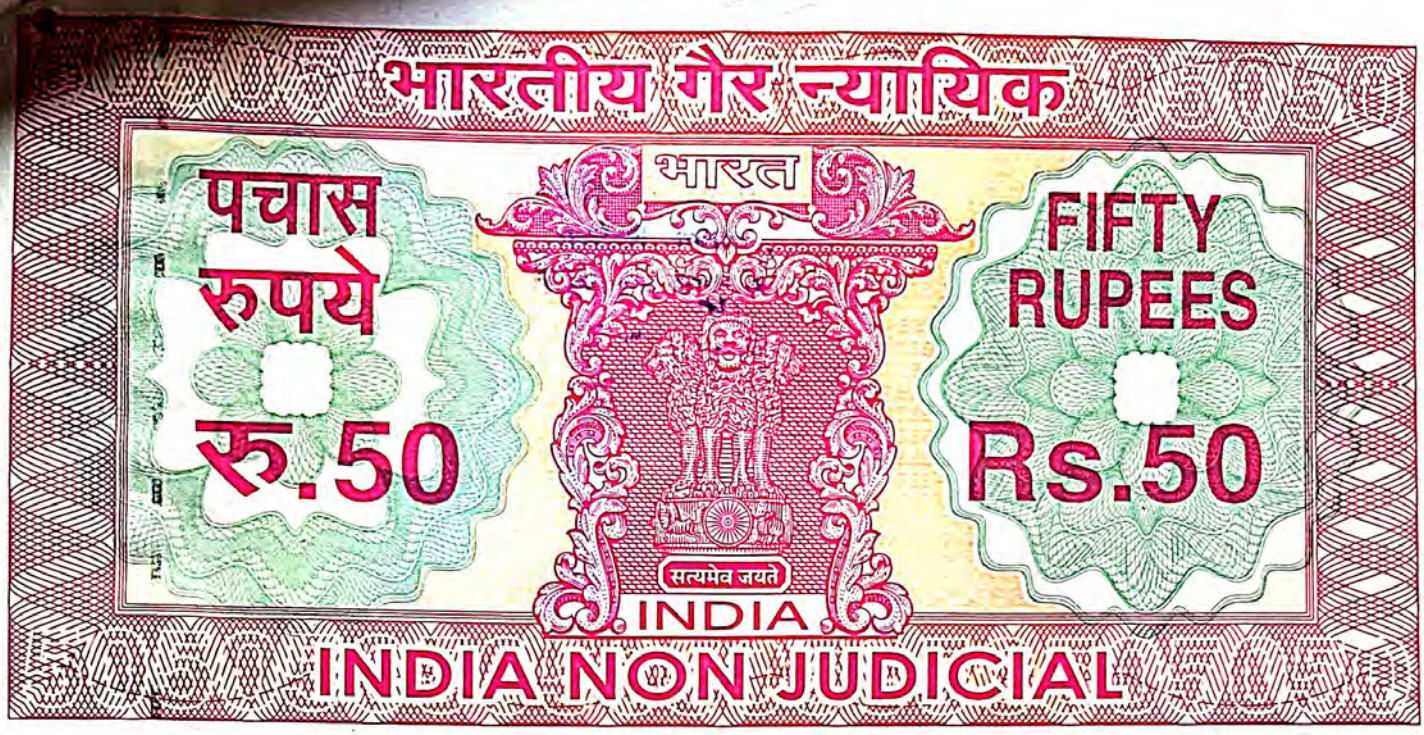

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AF 574284

शोध संस्थान, आन्तरिक लेखा परीक्षा, संगीत, नाटक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उपभोक्ता हेतु संरक्षण, भूमि सुधार, भण्डार, विचार, प्रिण्ट, एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, कम्प्यूटर तथा अन्य क्षेत्रों के विकास हेतु संस्थाये आदि स्थापित करना, व उनका विकास करना और प्रबन्धन करना। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13(1) तथा धारा–11(5) एवं संबंधित नियमों के अनुरूप न्यास का धन विभिन्न योजनाओं में. लगाना।

हिन्दी, संस्कृत, उर्दू तथा अन्य प्राच्य भाषाओं से प्राइमरी, जू0हा0स्कूल, इण्टर कालेज, डिग्री कालेज, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, विधि महाविद्यालय प्राविधिक, तकनीकी, चिकत्सा, व्यावसायिक, औद्योगिक संस्थानों/केन्द्रों आदि की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना।

संस्था को आगे बढ़ाने के लिए 12ए, 80जी, 10/23 व 35 एक्ट के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं को प्रदान करना।

केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जाने वाली समस्त परियोजनाओं को जनता के हित में संचालित करना एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले तमाम पीड़ित लोगों को उन्नयन एवं लाभान्वित करना आदि।

आयकर अधिनियम 1991 की सुसंगत धाराओं का पालन किया जाता रहेगा।

ट्रस्ट/ट्रस्टी का कार्यकाल- ट्रस्ट का कार्यकाल आजीवन रहेगा एवं इस ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा। वह जबतक जीवित रहेगा अपने पद पर बना रहेगा। प्रथम ट्रस्टी के अन्त के बाद श्रीमती कमलेश पाण्डेय पत्नी श्री सदावृक्ष पाण्डेय ग्राम टेकनगाढ़ा पोस्ट अमुवारी

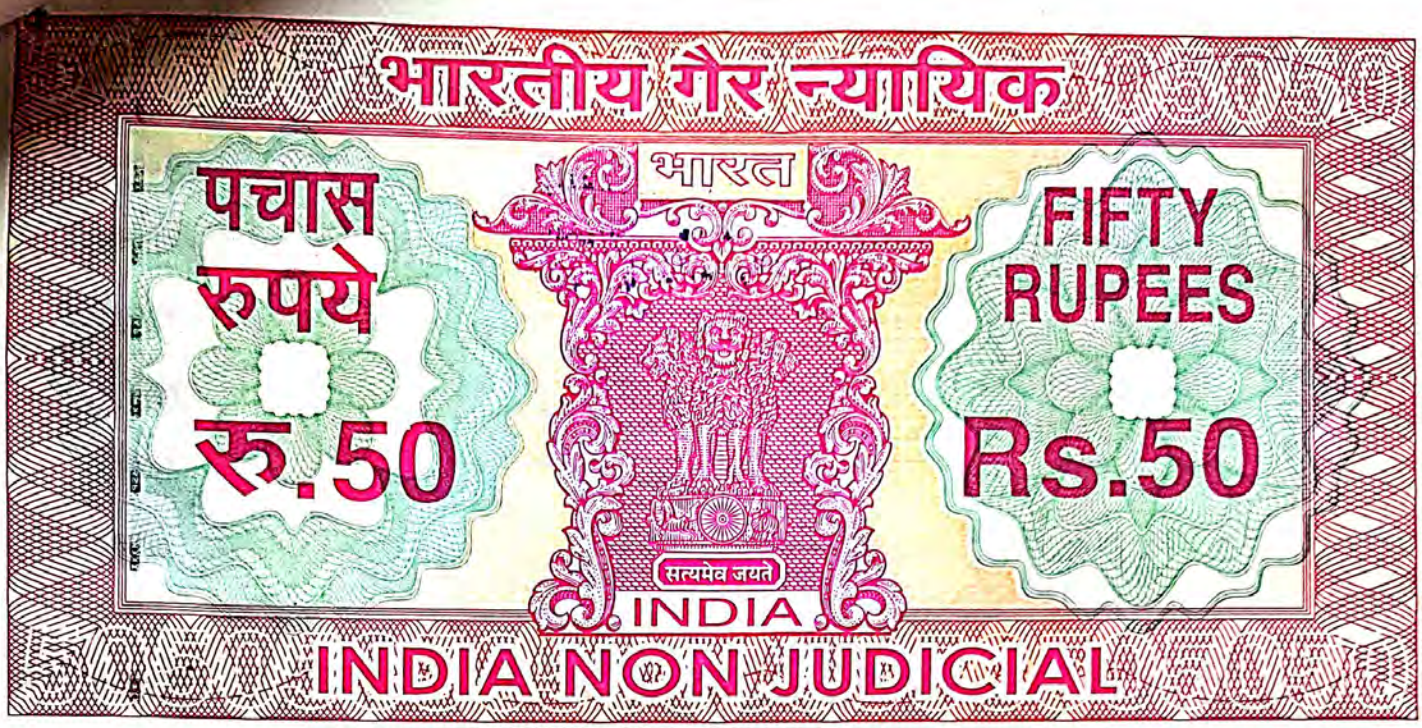

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AF 574285

नारायनपुर, जनपद आजमगढ़। इनके अन्त के बाद संस्थापक ट्रस्टी के वंशावली में से कोई इस पद को धारण करेगा।

ट्रस्ट की विधिक प्रतिबद्धता- महात्मा असऊ बाबा एजुकेशनल ट्रस्ट पंजीकृत अधिनियम 21–1960 के अन्तर्गत भारतीय न्याय अधिनियम 1982 नाट फार प्राफिट के अन्तर्गत।

ट्रस्ट की सदस्यता- ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी प्रथम एवं महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय को मिलाकर कुल ट्रस्टी सदस्यों की संख्या 05 होगी एवं ट्रस्ट में किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने पर संस्थापक ट्रस्टी प्रथम, द्वितीय की सहमति से 51,000/– रूपये (रूपये इक्यावन हजार मात्र) सदस्यता शुल्क जमा कराकर नया स्थायी सदस्य बनाया जा सकता है। यह नियम संस्थापक ट्रस्टी के वंशावली पर लागू नहीं होगा तथा इस ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के लिए ट्रस्ट अलग से प्रबन्धकारिणी समिति बना सकती है जिसमें ट्रस्ट के सदस्य भी सम्मिलित होगें एवं इनके अतिरिक्त रूपया 10,000/– (रूपये दस हजार मात्र) सदस्यता शुल्क जमा कराकर नये सदस्य बनाये जा सकते हैं। इनका कार्यकाल 05 वर्ष का होगा परन्तु प्रबन्ध समिति के प्रबन्धक संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी ही होगा तथा अन्य संचालित सभी संस्थाओं के प्रबन्धंक भी संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी ही होगा।

ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य-

मुख्य संस्थापक संरक्षक ट्रस्टी प्रथम

1- संरक्षक ट्रस्टी (न्यास) के सभी शाखाओं एवं उप शाखाओं तथा जुड़ी हुई संस्था के सदस्यों को आवश्यक निर्देश देगा।

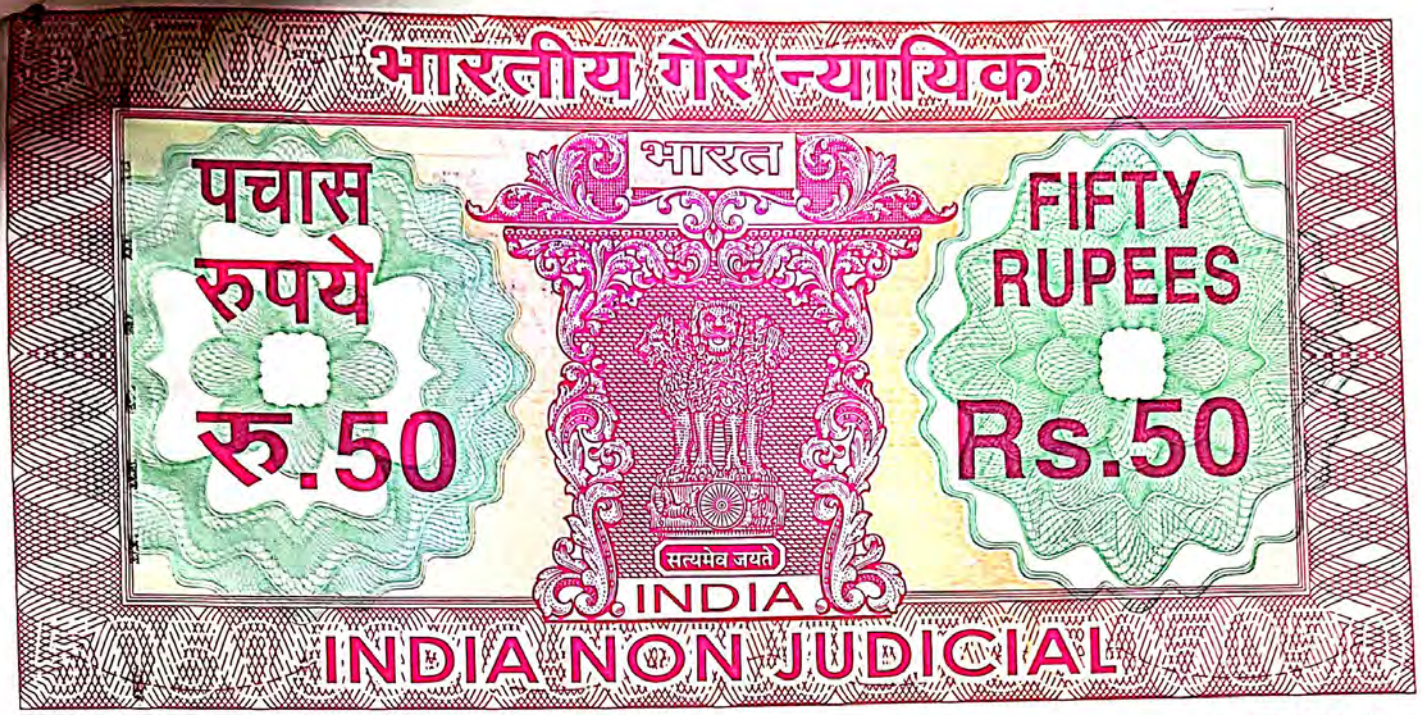

AF 574286

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2– मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट (न्यास) के कार्यहित में लिये गये निर्णय सर्वमान्य होगें।

3– संस्था के साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति के सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।

4– किसी भी विचारणीय विषय पर समाज मत होने पर एक निर्णायक मत देना।

5– आवश्यक कागजात पर पर हस्ताक्षर करना एवं कार्यान्वित करना।

6– ट्रस्ट (न्यास), के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों का परामर्श देना एवं कार्यक्रमों का निर्धारण करना।

7– ट्रस्ट (न्यास) बाह्य एवं आन्तरिक नीतियों का निर्धारण करना एवं ट्रस्ट एवं न्यास के विकास के विभिन्न संसाधन इकट्ठा करना व पदाधिकारियों व सदस्यों को तत्ससम्बन्धित कार्यवाही से अवगत कराना।

8– मुख्य ट्रस्टी द्वारा संस्थाओं के लिए भूमि–भवन का क्रय लीज (पट्टा) करना, किसी अन्य प्रकार से अन्तरित करना एवं वादों के निस्तारण की पैरवी करना।

9– मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था की चल–अचल सम्पत्तियों को ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बेच या खरीद सकता है।

10– मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश विदेश से अनुदान/दान प्राप्त कर सकता है एवं उसे खर्च कर सकता है। ट्रस्ट के लिए सहयोग, चन्दा, आम जनता किसी भी व्यक्ति फर्म, एशोसिएशन, किसी अन्य न्यास या कारपोरेट बाडी इत्यादि से धनराशि बिना शर्त/सशर्त स्वीकार करना एवं विवेकानुसार उसे व्यय करना।

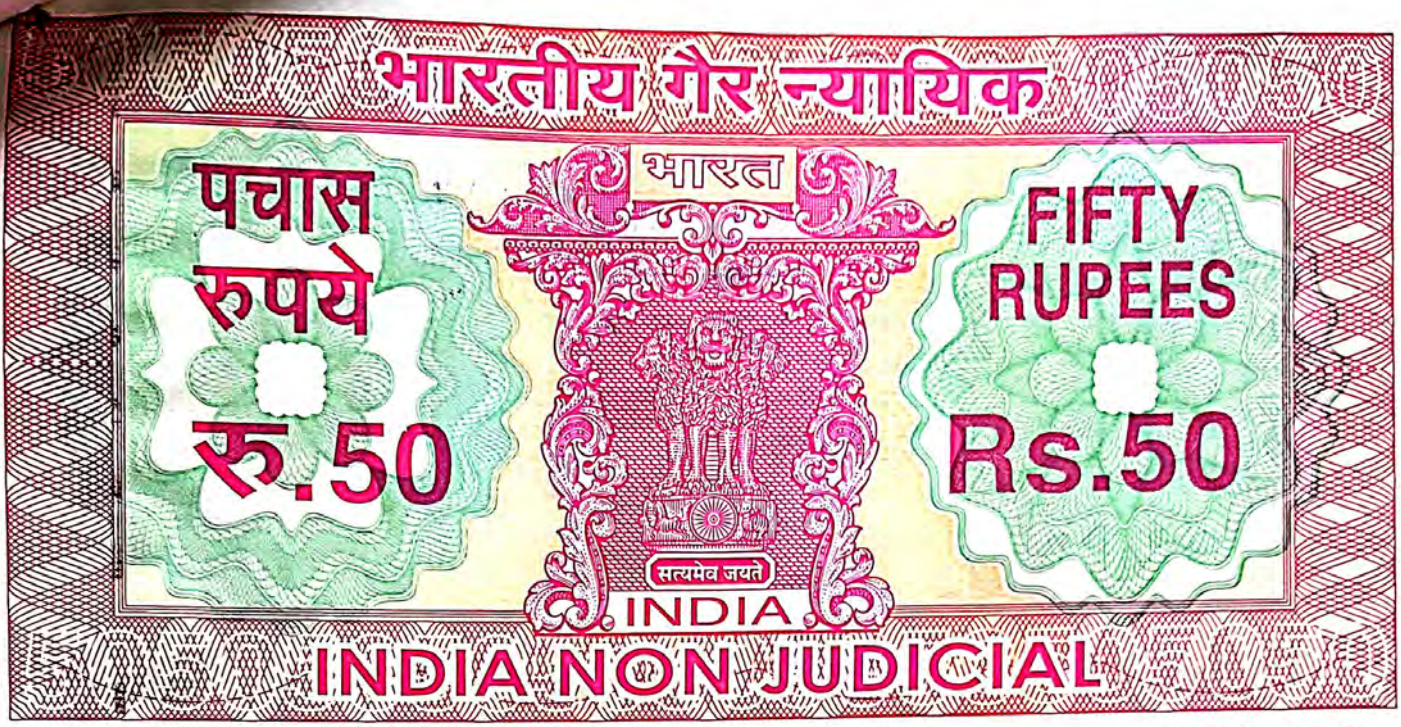

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AF 574287

11— संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति, अनुशासनात्मक कार्यवाही, पदोन्नति, निलम्बन व बर्खास्तगी करने का अधिकार संस्थापक ट्रस्टी के पास होगा।

12— संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी किसी भी समय किसी सदस्य को कारण बताकर 2/3 बहुमत से निकाल सकता है। यह प्राविधान संस्थापक ट्रस्टी एवं उसके उसके उत्तराधिकारी पर लागू नहीं होगा।

13— किसी भी सामान्य उद्देश्य से किसी अन्य ट्रस्ट (न्यास) संस्था/समिति का संचालन एवं उसका विलय अपने ट्रस्ट में कर सकता है।

14— ट्रस्ट के लिए नवीन सदस्य बनाने हेतु अपनी सहमति, असहमति लिखित रूप से प्रदान करना तथा ट्रस्ट के नियमों, परिनियमों के विपरीत कार्य करने वाले ट्रस्टी को ट्रस्ट से बर्खास्त करना।

15— ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं, कार्यक्रमों, क्रियाकलापों में निर्धारित शर्ता एवं वेतन पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को न्यास के कार्य हेतु नियुक्त करना, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करना। पदोन्नति एवं पदच्युत करना। न्यास के ऐसे कार्यो को किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल आदि में विवादित नहीं किया जा सकेगा न ही चुनौती दी जा सकेगी।

16— ट्रस्ट द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं, कार्यक्रमों, क्रिया कलापों आदि के समस्त धनराशियों एवं खातों का संचालन करना। ट्रस्ट के धन को ट्रस्ट के विभिन्न संस्थाओं को विकास एवं चैरिटेबुल कार्यो में व्यय करना।

17— ट्रस्ट के पदाधिकारी की असामयिक अथवा स्वाभाविक मृत्यु के पश्चात् उसका विधिक

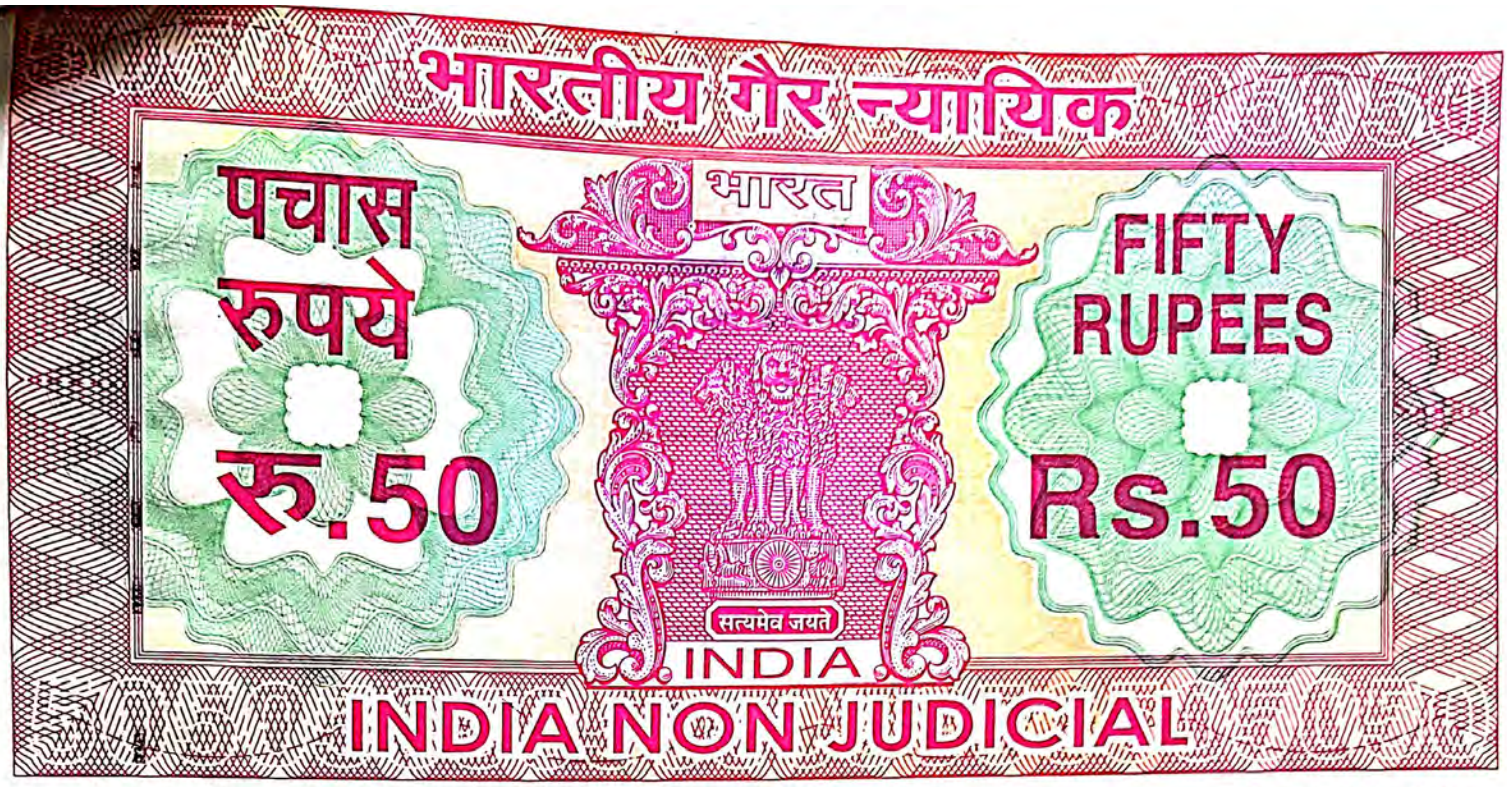

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH -10- AF 574288

उत्तराधिकारी उसी पद पर नियुक्त समझा जायेगा।

महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय-

1— मुख्य संरक्षक ट्रस्टी के अनुपस्थिति में उसके कार्य का संपादन महासचिव अपने हस्ताक्षर से करेगा तथा मुख्य ट्रस्टी को अवगत करायेगा।

2— बैठक बुलाना एवं सूचना देना।

3— ट्रस्ट (न्यास) के उन्नति के लिए दिशा निर्देश देना।

4— नये सदस्यों के लिए स्वहस्ताक्षरित रसीद संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी के अनुमति से जारी करना।

5— ट्रस्ट (न्यास) में नये सदस्य बनाने, संस्था में कर्मचारियों की नियुक्ति/अनुशासनात्मक कार्यवाही, पदोन्नति, निलम्बन, एवं निष्कासन आदि की संस्तुति, महासचिव मुख्य ट्रस्टी को देगा परन्तु इस विचार पर कार्यवाही मुख्य ट्रस्टी द्वारा की जा सकती है।

6— ट्रस्ट के उन्नति हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर योजनायें प्रस्तुत करना तथा ट्रस्ट के हित में समस्त कार्यो का सम्पादन करना।

7— ट्रस्ट (न्यास) में नये सदस्यों को सदस्य बनाने की कार्यवाही मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की सहमति से सुनिश्चित करना तथा सम्पूर्ण सदस्यों को इसकी जानकारी देना।

सदस्य ट्रस्टी-

साधारण सभा एवं प्रबन्ध कारिणी ट्रस्टी समिति के निर्देश पर बैठकों में भाग लेना, एवं ट्रस्ट के सर्वमान्य हित में निर्णय लेना एवं ट्रस्ट की योजनाओं स्वार्थरहित भाव से सहयोग प्रदान

स्व० श्री पाण्डेय

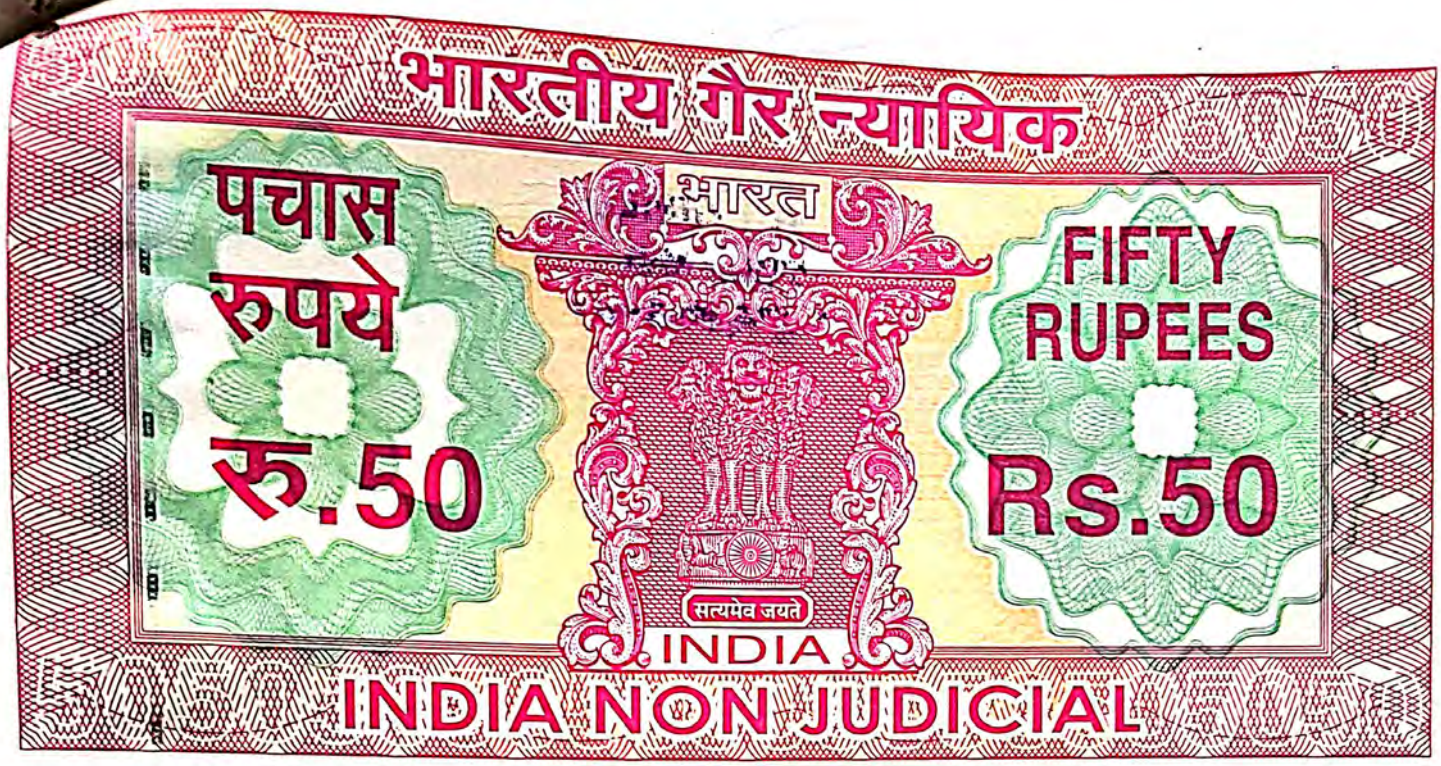

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AF 574289

करना।

ट्रस्ट (न्यास) निम्नलिखित दो वर्ग की होगी-

1— साधारण सभा

2— प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट

साधारण सभा (गठन)- साधारण सभा का गठन ट्रस्ट (न्यास) के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा परन्तु ट्रस्ट अन्य संचालित संस्थाओं के लिए एक प्रबन्ध समिति का गठन कर सकती है। जिसमें ट्रस्ट के सदस्य भी सम्मिलित होगें। इसके अतिरिक्त 11000/— रूपये संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी के अनुमति से सदस्यता शुल्क जमा कराकर नये सदस्य बनाये जा सकते हैं, किन्तु यह सदस्य ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के लिए होगें एवं उनकी अधिकतम संख्या 09 होगी तथा इनका कार्यकाल 05 वर्ष का होगा।

बैठकें-

1-साधारण बैठकें- ट्रस्ट (न्यास) के साधारण सभा के सामान्य बैठक वर्ष में दो बार होगी। आवश्यक बैठक 24 घंटे पहले निर्धारित सूचनानुसार कभी भी बुलाई जा सकती है।

2-साधारण बैठक- दो तिहाई सदस्यों की लिखित मांग पर या आवश्यकता पड़ने पर साधारण सभा की आवश्यक बैठक बुलाई जा सकती है।

AF 574290

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH -12-

सूचना अवधि- साधारण स्थित में प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट समिति का महासचिव/मुख्य ट्रस्टी की सहमति से एक सप्ताह पूर्व बैठक की सूचना डाक अथवा दस्ती द्वारा देकर बैठक बुला सकता है। विशेष परिस्थिति में 24 घंटे की सूचना पर साधारण सभा ट्रस्टियों की बैठक बुलाई जा सकती है।

गणपूर्ति- बैठक में सदस्यों की गणपूर्ति का कोरम उपस्थिति होना आवश्यक है। यह गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन- साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन एक बार जून माह में होगा।

ट्रस्ट के साधारण सभा के कर्त्तव्य- साधारण सभा ट्रस्टियों के निम्नलिखित कर्त्तव्य होगें।

अ- वार्षिक आय- व्यय बजट चेक करना।

ब- ट्रस्ट (न्यास) के विकास हेतु अगले वर्ष के लिए योजना एवं बजट निश्चित करना।

स- प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के प्रदाधिकारियों एवं सदस्यों का चयन करना।

द- ट्रस्ट (न्यास) के विकास के लिए समय-समय पर उनके कार्यो को करना जो समिति के हित में हो।

ट्रस्ट (न्यास) की प्रबन्धकारिणी समिति-

गठन- साधारण सभा के सदस्यों द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्न पद होगें प्रबन्धक, मंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष , कोषाध्यक्ष एवं दो सदस्य। कमेटी में ट्रस्ट के सदस्य पद प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्रबन्धक पद संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी का होगा। ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल

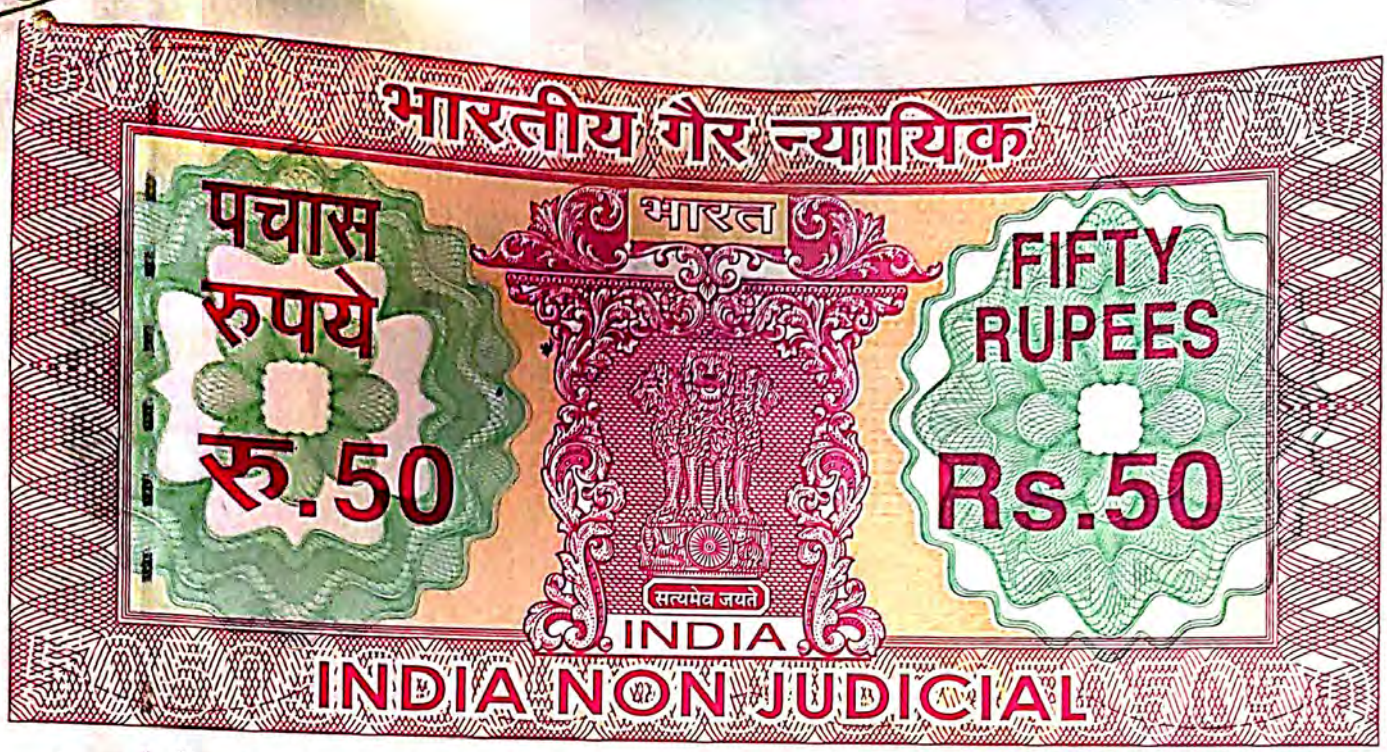

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AF 574291

समाप्त हो जाता है एवं अगले चुनाव में किसी प्रकार का विलम्ब होता है तो अगले चुनाव तक वही प्रबन्ध समिति कार्य करती रहेगी। प्रबन्ध समिति कालातीत नहीं होगी तथा यदि प्रबन्ध समिति में किसी प्रकार का विवाद होता है तो उस प्रबन्ध समिति का सभी अधिकार ट्रस्ट में निहित हो जायेगा और उस संस्था के प्रबन्ध समिति का सभी कार्य ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जायेगा।

बैठकें-

सामान्य- सामान्य स्थिति में ट्रस्ट (न्यास) का महासचिव प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी के मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से बैठक बुलायेगा।

विशेष- विशेष वैठक प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी का का 2/3 सदस्यों की मांग पर प्रबन्ध कारिणी ट्रस्टी समिति को महासचिव बुलायेगा।

सूचना अवधि- साधारण स्थिति में प्रबन्धक ट्रस्टी समिति, महासचिव एक सप्ताह की सूचना पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति की बैठक बुला सकता है। विशेष बैठक के लिए प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का महासचिव मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से 24 घंटे की सूचना पर बैठक बुला सकता है। सूचना दस्ती अथवा डाक अण्डर पोस्टिंग अथवा समाचार पत्रों द्वारा दी जा सकती है।

गणपूर्ति- प्रवन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के समस्त बैठकों की गणपूर्ति समिति के राभी सदस्यों की 2/3 उपस्थिति में पूर्ण मानी जायेगी।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AF 574292

रिक्त स्थानों की पूर्ति- किसी सदस्य के असामयिक निधन या त्याग पत्र या दिवालियापन या पागल हो जाने पर या ट्रस्ट (न्यास) से निष्कासित होने पर इसके स्थान पर प्रवन्धकारिणी ट्रस्टी सदस्यों के 2/3 के वहुगत से भरा जायेगा। जिसमें संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति आवश्यक है। यह प्रक्रिया संस्थापक ट्रस्टी को भरने के लिए लागू नहीं होगी। नये सदस्य की स्थायी नियुक्ति संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी के अनुमति से 2/3 वहुमत के अतिरिक्त 110000/–रूपये नकद या उतने की सम्पत्ति देने पर होगी। शुल्क रसीद मुख्य ट्रस्टी अथवा महासचिव के हस्ताक्षर से निर्गत होगी।

प्रवन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के कर्तव्य- प्रवन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होगें:–

1. वैठक वुलाना अथवा वैठक विसर्जित करना।
2. ट्रस्ट का प्रवन्धन करना अथवा ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं का प्रवन्धन करना।
3. ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्वन, निष्कासन, पदोन्नति, विनियमितीकरण का अनुमोदन करना।
4. आय–व्यय का व्यौरा रखना तथा उन्हें वार्षिक अधिवेशन के समय साधारण ट्रस्टी सभा के सामने प्रस्तुत करना।

ट्रस्ट (न्यास) के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया -समय–समय पर परिस्थितियों के अनुसार प्रवन्धकारिणी ट्रस्ट (न्यास) के नियमावली में संशोधन एवं परिवर्धन कर सकती है।

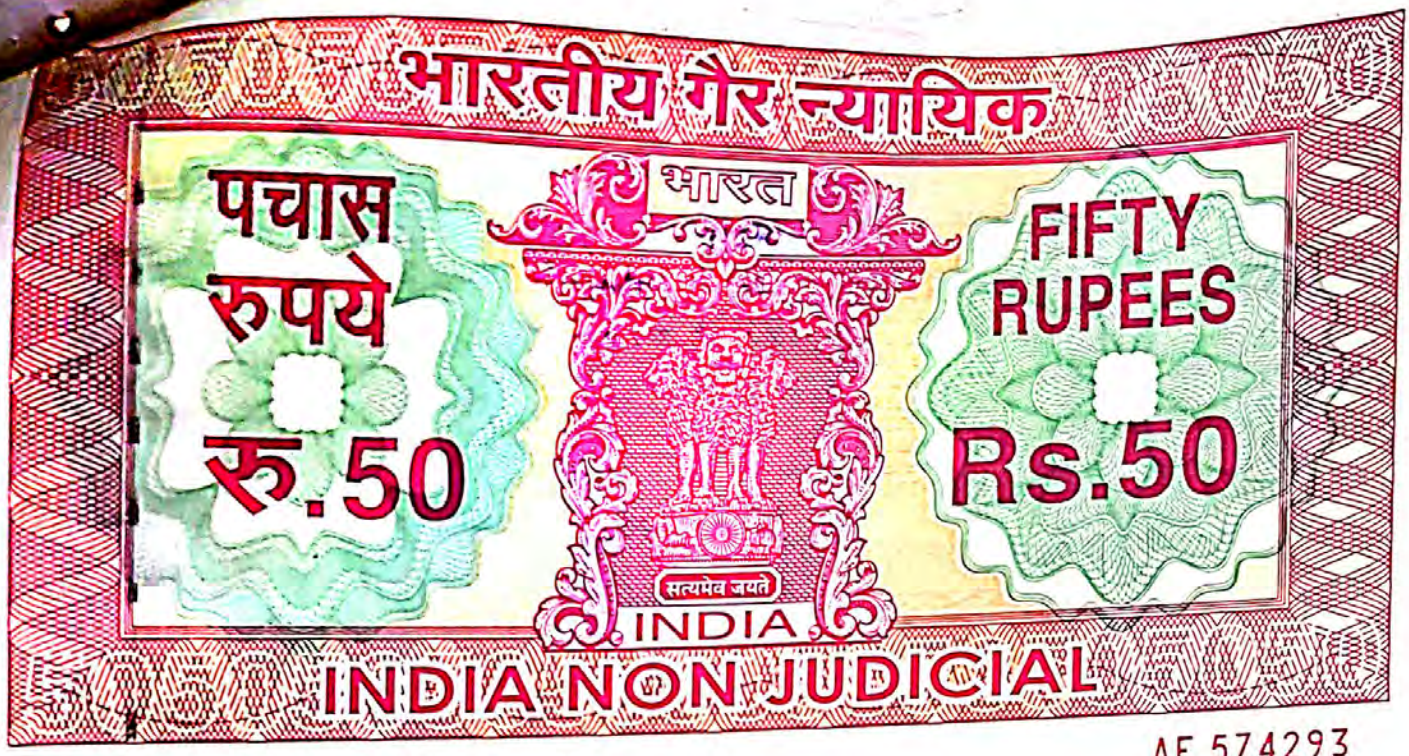

AF 574293

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

नियमावली की कटिंग, अशुद्धि, संशोधन, छूटे हुए शब्द अथवा वाक्य को बनाने का अधिकार प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट (न्यास) का होगा।

ट्रस्ट (न्यास) के कोष - ट्रस्ट (न्यास) के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोष की स्थापना की जायेगी जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर में रखा जायेगा। जिसका संचालन संस्थापक मुख्य ट्रस्टी व महासचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा, परन्तु ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के खाते का संचालन ट्रस्ट द्वारा गठित प्रबन्धकारिणी समिति के प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा।

ट्रस्ट (न्यास) के आय-व्यय का लेखा परीक्षण - प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार किसी भी योग्य आडिटर से संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण कराया जायेगा।

ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसे विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व -ट्रस्ट न्यास द्वारा अथवा उसके विरूद्ध समस्त अदालती कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्ध कारिणी ट्रस्टी समिति पर होगा जो किसी पदाधिकारी अथवा सदस्य को इस कार्य के निमित्त नियुक्त कर सकती है।

ट्रस्ट (न्यास) के अभिलेख- ट्रस्ट न्यास के समस्त अभिलेख जैसे सूचना रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, कैशबुक आदि संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी के पास होगें।

महात्मा असऊ बाबा एजूकेशनल ट्रस्ट के पास सदस्यता शुल्क के माध्यम से 11,000/– रूपये प्रारम्भिक कार्य हेतु उपलब्ध हैं।

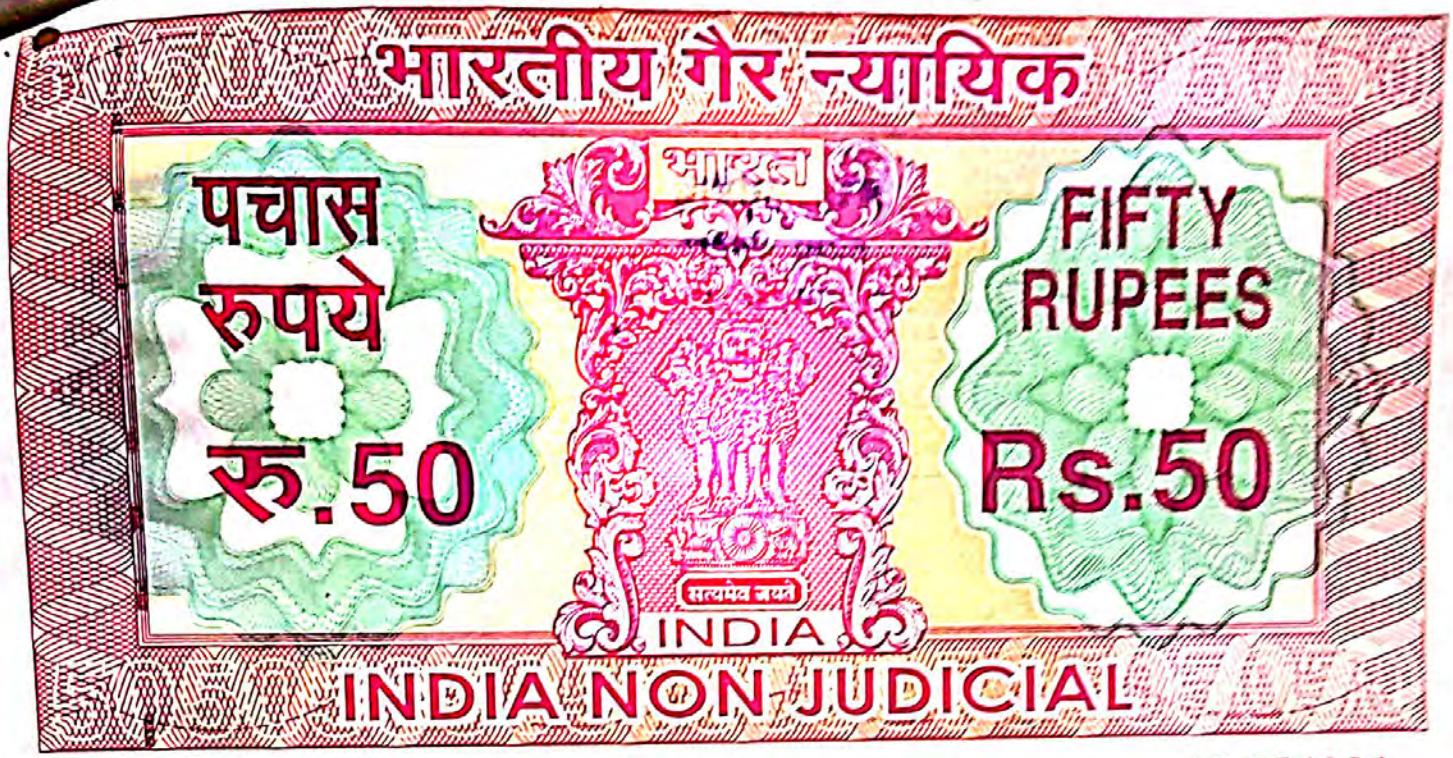

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 574294

ट्रस्ट (न्यास) के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही –ट्रस्ट न्यास के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक 15.1.2014

दस्तखत गवाह–

महात्मा असऊ बाबा एजूकेशनल ट्रस्ट के पास वर्तमान समय में कुल मु0 11500/– (रुपये ग्यारह हजार पॉच सौ मात्र) के अतिरिक्त कोई भी चल व अचल सम्पत्ति नहीं है।

टाईपकर्ता–'राजेश कुमार श्रीवास्तव, साई ट्रेडर्स, आजमगढ़।

दिनांक 15.1.14

ड्राफ्ट तैयारकर्ता–महेन्द्र प्रताप यादव एडवोकेट, सिविल कोर्ट, आजमगढ़।

1)

2)

आ0 सं0 4163 को0 स0 50

आ0 रा0 शोध
स्टाम्प विक्रेता
सगड़ी (आजमगढ़)

आज दिनांक 15-1-14 को फोटो स्टेट प्रति पुस्तक संख्या II खण्ड 57 के पृष्ठ 41-72 पर क्रम संख्या 02 पर रजिस्टर्ड किया गया।

उप [illegible]
सगड़ी-आजमगढ़